

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्रकरण क्र. 413 / 2004

संस्थित दिनांक-20 / 05 / 2004

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र रूपझर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

### विरुद्ध

भादूसिंह पिता कमलसिंह उम्र 40 वर्ष जाति गोण्ड

साकिन चिखलाझोड़ी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)..... आरोपी

—:: नि र्ण य ::—

(दिनांक-13 / 03 / 2015 को घोषित)

(01) आरोपी-भादूसिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए, 506बी का आरोप है कि उसने दिनांक-28.3.2004 को 11.00 बजे, ग्राम बैगाटोला चिखलाझोड़ी आरक्षी केंद्र रूपझर अंतर्गत प्रार्थीया प्रमिलाबाई के पति होते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की तथा प्रार्थीया प्रमिलाबाई को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हीराबाई ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका विवाह भादूसिंह के साथ जाति-रीति रिवाज मुताबिक हुआ। विवाह के बाद से ही उसका पति भादूसिंह उसे मारपीट कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहता था। उसने यह बात समय-समय पर उसकी मां व मामा को बताई थी। दिनांक 28.3.2004 को प्रातः 11.00 बजे भादूसिंह

ने उसे हाथ घूंसे से मारपीट की व धमकी दी कि टंगिया से काट डालूंगा। भय के कारण वह जंगल भाग गई। दिनांक 30.3.2004 को सुबह 5.00 बजे उसके मामा सुदेलाल के घर घटना बताई। फरियादी की मौखिक रिपोर्ट पर आरक्षी केंद्र रूपझर में अपराध क्रमांक 82/08, धारा-498ए, 506 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-498ए, 506 भा.दं.वि. के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा-498ए, 506 भा.दं.वि. के तहत आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक-28.3.2004 को 11.00 बजे, ग्राम बैगाटोला चिखलाझोड़ी आरक्षी केंद्र रूपझर अंतर्गत प्रार्थीया प्रमिलाबाई के पति होते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की ?

(ब) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थीया प्रमिलाबाई को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1, 2 :-

(06) उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति ना हो। उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में साक्ष्यजन्य तथ्य एवं निष्कर्ष परस्पर अन्योन्याश्रित है।

(07) अभियोजन साक्षी एवं विवेचनाकर्ता उमेश तिवारी (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 30.3.2004 को थाना रूपझर में उर्मिलाबाई के गुम होने की सूचना पर गुम इंसान रिपोर्ट क्रमांक 11/04 की जांच हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा जांच के दौरान

उर्मिलाबाई, सुकरतीबाई, सुद्धेलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया। जिसमें उर्मिलाबाई के पति भादूसिंह के द्वारा उर्मिलाबाई ने दिनांक-28.3.2004 को मारपीट किये जाने से बिना बताये जंगल चले जाने और दूसरे दिन अपने मामा के घर चले जाना बतायी। दिनांक 30.3.2004 को उर्मिलाबाई ने आरोपी भादूसिंह के विरुद्ध मौखिक रिपोर्ट लेख कराने पर उसके द्वारा आरोपी भादूसिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श डी-1, अपराध क्रमांक 82/04, धारा-498ए, 506 भा.दं.वि. लेख किया था जिस पर उसके एवं उर्मिलाबाई के हस्ताक्षर है। प्रार्थी उर्मिलाबाई को मुलाहित हेतु शासकीय अस्पताल उकवा भेजा था। प्रार्थी उर्मिलाबाई, साक्षी सुद्धेलाल, सुकरतीबाई, छन्नुलाल, उदेलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 30.3.2004 को आरोपी भादूसिंह को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र पेश किया था।

(08) फरियादी अभियोजन साक्षी उर्मिलाबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि आरोपी भादूसिंह उसका पति है। आरोपी भादूसिंह शराब पीकर घर के दोनों तरफ के दरवाजे बंद करके मारपीट करता था और हमेशा उसे परेशान करता था। आरोपी द्वारा मारपीट करने के संबंध में उसके मामा को बताई थी और उसका मामा रूपझर लेकर आया तो घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और परेशान होकर मायके में रहने लगी।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सुखबती (अ.सा. 3) का कहना है कि वह उभयपक्ष को जानती है। आरोपी ने प्रार्थीया से मारपीट किया था। आरोपी प्रमिलाबाई को शराब पीकर मारता पीटता और झगड़ा करता था।

(10) अभियोजन साक्षी एवं चिकित्सक डॉ. प्रदीप गेडाम (अ.सा. 2) का कहना है कि दिनांक 30.3.2004 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा में आरक्षक मंजु मरावी क. 17 थाना रूपझर द्वारा उर्मिलाबाई पति भादूलाल को परीक्षण हेतु लाने पर, परीक्षण में वह सामान्य स्थिति में थी एवं उसके द्वारा कमर में दर्द होने की शिकायत की गई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है।

(11) किन्तु अभियोजन साक्षी सुदेला (अ.सा. 4) का कहना है कि वह आरोपी भादूसिंह को जानता है। फरियादी उर्मिलाबाई उसकी भांजी है। उर्मिलाबाई की शादी

आरोपी के साथ हुई थी। उसे आरोपी और फरियादी के झगड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे उर्मिलाबाई ने कोई बात नहीं बताई थी। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी द्वारा उर्मिलाबाई को लात घूंसी से मारपीट कर टंगिया से काटकर जान से खत्म करने की धमकी दिया, इससे इंकार किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी छन्नुलाल (अ.सा. 5) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में जानकारी नहीं है। पुलिस को उसने बयान नहीं दिया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वे निर्दोष है। फरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) फरियादी अभियोजन साक्षी उर्मिलाबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि आरोपी भादूसिंह शराब पीकर घर के दोनों तरफ के दरवाजे बंद करके मारपीट कर परेशान करता था। आरोपी द्वारा मारपीट करने के संबंध में रिपोर्ट हेतु उसका मामा रूपझर लेकर आया था। फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए साक्षी सुखबती (अ.सा. 3) का कहना है कि आरोपी ने प्रार्थीया से मारपीट किया था। आरोपी प्रमिलाबाई को शराब पीकर मारता पीटता और झगड़ा करता था।

(15) अभियोजन साक्षी एवं चिकित्सक डॉ. प्रदीप गेड़ाम (अ.सा. 2) का कहना है कि दिनांक 30.3.2004 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा में आरक्षक मंजु मरावी क. 17 थाना रूपझर द्वारा उर्मिलाबाई पति भादूलाल को परीक्षण हेतु लाने पर, परीक्षण में पाया कि वह सामान्य स्थिति में थी एवं उसके द्वारा कमर में दर्द होने की शिकायत की गई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है।



(16) विवेचनाकर्ता साक्षी उमेश तिवारी (अ.सा. 5) का कहना है कि उसने जांच के दौरान उर्मिलाबाई, सुकरतीबाई, सुद्धेलाल, छन्नलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया। जिसमें उर्मिलाबाई के पति भादूसिंह के द्वारा उर्मिलाबाई ने दिनांक-28.3.2004 को मारपीट किये जाने से बिना बताये जंगल जाने और अपने मामा के घर जाना बतायी। जिस पर आरोपी भादूसिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श डी-1, धारा-498ए, 506 भा.दं.वि. लेख किया था। प्रार्थी उर्मिलाबाई को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल उकवा भेजा था। आरोपी भादूसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र पेश किया था।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी उर्मिलाबाई (अ.सा. 1) एवं साक्षी सुखबती (अ.सा. 3), डॉक्टर प्रदीप गेड़ाम (अ.सा. 2), उमेश तिवारी (अ.सा. 5) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों को अविश्वासनीय कहा जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी ने दिनांक-28.3.2004 को 11.00 बजे, ग्राम बैगाटोला चिखलाझोड़ी आरक्षी केंद्र रूपझर अंतर्गत प्रार्थीया प्रमिलाबाई से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की यह अभियोजन के प्रकरण से परिलक्षित होता है। किन्तु आरोपी ने फरियादी को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया, यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परिलक्षित नहीं होता है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक-28.3.2004 को प्रार्थीया प्रमिलाबाई से मारपीट कर उसे उपहति कारित की। किन्तु आरोपी ने फरियादी दहेज की मांग को लेकर शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास

कारित किया, यह प्रमाणित करने में अभियोजन असफल रहा है।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी-भादूसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 506बी के अन्तर्गत दोषसिद्ध न पाते हुए आरोपी- भादूसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए, 506बी के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(21) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

पुनश्च,

(22) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(23) आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा नवयुवक व्यक्ति हैं। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(24) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(25) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(26) आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है आरोपी मजदूर पेशा एवं नवयुवक व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी भादूसिंह के द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 323 के आरोप में 1,000/—(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(27) प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

(28) निर्णय की एक प्रति प्रत्येक आरोपी को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)